

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2016/ ।३९।

दिनांक:- ३१/३/१६


### आदेश

मण्डल की 229वीं बैठक दिनांक 27.01.16 के कार्यवाही विवरण बिन्दु संख्या 229.15 में लिये गये निर्णयानुसार उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा मण्डल की विशेष आवंटन योजना के अन्तर्गत भृगु अपार्टमेन्ट, मानसरोवर योजना में अनिस्तारित/अवशिष्ट फ्लेट संख्या 12/बी-103, 201, 202, 203, 302 व 303 कुल 6 फ्लेटों को युनियन बैंक ऑफ इण्डिया जयपुर को स्टाफ के लिये नियमानुसार वर्तमान लागत पर आवंटन की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है ।

उक्त आदेश समक्ष स्तर से अनुमोदित है।



मुख्य सम्पदा प्रबन्धक



प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. सचिव/वितीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा०आ०म०, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा०आ०म०, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म० जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, रा०आ०म० जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-षष्ठम् एवं नवम्, रा०आ०म०, जयपुर।
8. महा प्रबन्धक युनियन बैंक ऑफ इण्डिया क्षेत्रीय कार्यालय 101ए, 101बी व 102, किसान भवन, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर 302015
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
10. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, रा०आ०म० मण्डल, जयपुर।
11. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), रा०आ०म०, जयपुर
12. रक्षित पत्रावली।



मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

